न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी जिला सीकर, कैम्प कोर्ट रामगढ शेखावाटी
पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनू मीणा (आर.ए.एस)

अपील संख्या :–01/16

निर्णय दिनांकः–18.06.2018

1. आनन्द कंवर पत्नी स्व. कानदान चारण निवासी गाम सुण्डा की ढाणी तहसील रामगढ शेखवाटी।
2. भुपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कानदान चारण जाति चारण निवासी गाम सुण्डा की ढाणी तहसील रामगढ शेखवाटी।
3. सीमाचारण पुत्री स्व. कानदान चारण जाति चारण निवासी गाम सुण्डा की ढाणी तहसील रामगढ शेखवाटी।

...........अपीलांटस

बनाम

1. अर्जुन सिंह आयु 47 पुत्र स्व. कानदान चारण जाति चारण निवासी 60 न्यू विष्णु नगर आर.टी. ऑफिस गुलाब नगर बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर 302006 राज0।
2. कमलेश कंवर आयु 41 वर्ष पुत्री कानदान चारण जाति चारण निवासी आकाशवाणी वाली गली पावटा सी. रोड़ जोधपुर(राज.)।
3. तहसीलदार तहसील रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर।
4. हल्का पटवारी ग्राम सुण्डा की ढाणी

...........रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांकित 20.01.2014 ग्राम पंचायत ताखलसर पंचायत समिति फतेहपुर

निर्णय

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6, 7, 8, 31, 64 (पुराना नम्बर 5, 12, 27) कुल रकबा 7.61 है0 वाके ग्राम सुण्डा की ढाणी पटवार हलका ताखलसर तहसील रामगढ जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त भूमि का पूर्व में ख.न. क्रमश 5, 12, 27 था तथा वर्तमान में उक्त भूमि के खसरा नम्बर 6, 7, 8, 31 व 64 दर्ज हो गये है जिसमें से ख.न. 7 रकबा 0.0500 है0 गैर मुमकिन सडक के रूप में दर्ज है।

उक्त भूमि का पूर्व में खातेदार काबिज काश्तकार अपीलान्ट संख्या एक का पति व अपीलान्ट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो का पिता कानदान पुत्र दूलदान जाति चारण निवासी सुण्डा की ढाणी था। उक्त काानदान की मृत्यु हो चुकी है रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो कानदापन की पहली पत्नी भंवरी कंवर की संतान है उक्त भंवरी कवंर की भी मृत्यु हो चुकी है। भंवरी कंवर की मृत्यु के पश्चात उक्त कानदान के द्वारा अपीलान्ट संख्या एक आनन्द कंवर से दुसरा विवाह कर लिया था जिससे उक्त कानदान के एक पुत्र व एक पुत्री क्रमश अपीलान्टस संख्या दो व तीन पैदा हुये। अपीलान्टस संख्या एक उक्त कानदान की वैध विवाहिता पत्नी है तथा अपीलान्टस संख्या दो व तीन उक्त कानदान के जाईन्दा पुत्र व पुत्री है। उक्त कानदान पूर्व में भारतीय सैना में कार्यरत था तथा पेशनधारी था कानदान की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अपीलान्टस संख्या एक आनन्द कंवर उक्त कानदान की भारतीय

उक्त कानदान की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या तीन व चार के साथ आपस में साज करके उक्त भूमि का खाता कतई गलत व अवैध रूप से अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कतई गलत अकृत शुन्य व प्रभावहीन है। उक्त भूमि पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो का संयुक्त कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। हर वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी अपीलान्टस ने रेस्पोन्डेट संख्या एक व दो के साथ सुयुक्त रूप से उक्त से उक्त भूमि में अपनी फसल काश्त कर रखी है।

उक्त भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या एक व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि होने के बावजूद व अपीलान्टस उक्त भूमि के पूर्व खातेदार कानदान के विंधिक उत्तराधिकारी व वारिसान होने के बावजूद रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या तीन व चार के साथ आपस में साज करके उक्त भूमि का खाता जरिये नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 20.01.2014 अपने नाम करवा लिया जो नामान्तरकरण निम्न लिखित आधारों पर अकृत शुन्य व प्रभावहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण भरने से पूर्व कानदान के सभी विधिक वारिसान के सम्बन्ध में तथा उक्त कृषि भूमि पर अपीलन्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या एक व दो के संयुक्त कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की। नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही कतई गलत अवैध व विधि विरूद्ध होकर सर्वथा अकृत शुन्य व प्रभावहीन है। उक्त नामान्तरकरण विधि व नियमों के विपरीत होने से अवैध व शुन्य है।

उक्त नामान्तरकरण भरने से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 6 7 8 31 64 (पुराना नम्बर 5 12 27) कुल रकबा 7.61 है0 वाके गाम सुण्डा की ढाणी के काबिज काश्तकारान अपीलान्टस को कोई सूचना नहीं दी और ना ही अपीलान्टस के भौतिक वास्तविक कब्जे को ध्यान में रखा और उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलान्टस से छिपाकर उनके पीठ पीछे की गई जो सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध है।

अपीलान्ट संख्या एक अपनी कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि का किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु उक्त कृषि भूमि के खाते की नकल प्राप्त करने दिनांक 23.08.2016 को हलका पटवारी के पास गई तब हलका पटवारी से उक्त कृषि भूमि की खाते की नकल प्राप्त करने पर अपीलान्टस संख्या एक को ज्ञात हुआ की उक्त कृषि भूमि की खातेदारी उसके पति कानदान की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या एक व दो के द्वारा कतई गलत व अवैध रूप से केवल अपने नाम बनवा लिया तब अपीलान्ट संख्या एक के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की । उक्त नामन्तरकरण की जानकारी होने के दिन से अपीलान्टस अन्दर मियाद सादर पेश है।

अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 20.01.2014 ग्राम पंचायत ताखलसर को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित आये। तहसीलदार रामगढ से कानदान पुत्र दुलदान

हुई थी जिनके एक पुत्र अर्जुन सिहं व एक पुत्री कमलेश कंवर हुई थी। भंवरी कंवर की मृत्यु के बाद कानदान ने दूसरी शादी आंनन्द कंवर के साथ की जिनसे एक पुत्र भुपेन्द्र सिहं व एक पुत्री सीमा चारण हुई।

अपीलांटस ने अपनी अपील के समर्थन दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खसरा नम्बर 6, 7, 8, 31, 64 बाबत, नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांकित 20.01.2014, ग्राम पंचायत ताखलसर द्वारा कानदान पुत्र दुलदान का वारीस प्रमाण पत्र, कानदान का पेशन प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेजात पेश कियें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रामगढ शेखावाटी मे पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत नें बिना जांच किये विवादित नामन्तरकरण तस्दीक किया हैं।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार व अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व. कानदान पुत्र दुलदान की प्रथम शादी भंवरी कंवर के साथ हुई थी जिनके एक पुत्र अर्जुन सिहं(रेस्पोन्टस संख्या 01) व एक पुत्री कमलेश कंवर(रेस्पोडेन्टस संख्या 02) हुई थी। भंवरी कंवर की मृत्यु के बाद कानदान ने दूसरी शादी आंनन्द कंवर के साथ की जिनसे एक पुत्र भूपेन्द्रसिहं व एक पुत्री सीमा चारण हुई। अतः नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांकित 20.01.2014 ग्राम पंचायत ताखलसर पंचायत समिति फतेहपुर सरासर गलत है तथा खारिज योग्य है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांकित 20.01.2014 ग्राम पंचायत ताखलसर पंचायत समिति फतेहपुर खारिज किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को कैम्प कोर्ट रामगढ शेखावाटी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेणु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर